

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर  
समक्ष  
एम०के०सिंह  
सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 3070/एक/2015 - विरुद्ध आदेश दिनांक  
27.07.2015 - पारित द्वारा कलेक्टर जिला जबलपुर - प्रकरण  
क्रमांक 224 अ-21/2013-14

इन्दु सिंह पुत्र सुमेर सिंह गौड़  
ग्राम सुन्दरपुर तहसील पनागर  
जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश  
विरुद्ध

----अपीलांट

1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर  
2- घनश्याम यादव पुत्र कढोरीलाल यादव  
ग्राम सुन्दरपुर तहसील पनागर  
जिला जबलपुर मध्य प्रदेश

-----रिस्पाण्डेन्ट्स

(अपीलांट की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)  
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 18-9 - 2015 को पारित)

यह अपील कलेक्टर जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक  
224 अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 27.7.2015  
के विरुद्ध म.प्र. भू राज. संहिता, 1959 की धारा 44 के तहत  
प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि अपीलार्थी ने कलेक्टर  
जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उसके  
स्वामित्व की ग्राम पौड़ी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71/2 रकबा  
1.21 हैक्टर , 71/1 रकबा 1.21 हैक्टर, 70 रकबा 0.40  
हैक्टर कुल कितना 3 कुल रकबा 2.82 हैक्टर (आगे जिसे  
वादग्रस्त भूमि लिखा गया है) को वह विक्रय करना चाहता है एवं



उसके द्वारा रिस्पा0 क्रमांक 2 से विक्रय अनुबंध कर लिया है। यह भूमि बंजर एवं पथरीली है इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 224 अ-21/2013-14 पंजीबद्ध किया तथा अपीलांट के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर एवं नायब तहसीलदार पनागर से कराई। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 11.5.15 से प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त कर दिया। पुर्नस्थापन आवेदन आने पर आदेश दिनांक 27.7.2015 से पुर्नस्थापन आवेदन खारिज किया गया फलतः अपीलांट का विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त हो गया। इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण अदम पैरबी में 11.5.15 को निरस्त कर दिया, जबकि कलेक्टर जबलपुर को आवेदक को सूचना देना थी, जब आवेदक प्रकरण की जानकारी लेने कलेक्ट्रेट पहुंचा तब उसे अदम पैरबी आदेश की जानकारी हुई और उसने जानकारी के तत्काल वाद प्रकरण पुर्नस्थापित करने का आवेदन दिया, किन्तु कलेक्टर महोदय ने जानबूझकर पुर्नस्थापन आवेदन आदेश दिनांक 27.7.2015 से निरस्त कर दिया, जिसके कारण अपीलांट का विक्रय अनुमति आवेदन जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के वाद भी विक्रय अनुमति मिलने पर विचार होने से रह गया। अतः कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 11.5.15 एवं 27.7.2015 को



निरस्त कर पुर्नस्थापन मंजूर कर विक्रय अनुमति दिये जाने की कृपा की जावे। रिस्पा0 क-1 के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत् रखने की प्रार्थना की।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुकम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने अदम पैरबी के आदेश दिनांक 11.5.15 के विरुद्ध दिये गये पुर्नस्थापन आवेदन को आदेश दिनांक 27.7.2015 से निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि की है ? प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि अदम पैरबी आदेश दिनांक 11.5.15 के पुर्नस्थापन हेतु अपीलांट ने दो माह वाद आवेदन दिया है जबकि पुर्नस्थापन आवेदन देने हेतु 30 दिवस की समयावधि संहिता की धारा 35 में निर्धारित है। विचार योग्य है कि जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहां प्रकरण जांच हेतु गया एवं जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया, अपीलांट को सूचना देकर सुनवाई हेतु आहुत करना लाजमी था, प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त नहीं करना चाहिये था। रामगोपाल विरुद्ध बासुदेव 1973 रा.नि. 356 का न्यायिक दृष्टांत है कि " न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया - पक्षकारों को आगामी सुनवाई हेतु दिनांक की जानकारी दी जाना चाहिये और सूचना पत्र निर्वाहित किया जाना चाहिये "। प्रकरण में कलेक्टर द्वारा सूचना देने की कार्यवाही नहीं करना बताया गया है, जिसके कारण उनके द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 11.5.15 एवं 27.7.2015 निरस्त किये जाने योग्य हैं।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से देखना है कि क्या अपीलांट वादग्रस्त भूमि विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं ?


1. नायव तहसीलदार पनागर ने अपीलांट के विक्रय अनुमति



आवेदन की जांच की है तथा मौके की स्थिति अनुसार पटवारी से प्रतिवेदन लिया है। पटवारी प्रतिवेदन के पद 2 में बताया गया है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट ने विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित की है अर्थात् शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। प्रतिवेदन के पद 7 में बताया गया है कि भूमि एक फसली असिंचित है कोदों, राहर, मक्का की फसल की है अर्थात् अधिक पैदावार यानि गेहूँ, चना अथवा सोयाबीन जेसी फसल पैदा नहीं हो सकती। प्रतिवेदन के पद 11 में बताया गया है कि यदि विक्रय की अनुमति उपरांत भूमि विक्रय होती है इसके बाद अपीलांट के पास 2.97 हैक्टर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा एवं उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।


2. प्रतिवेदन के पद 10 में बताया गया है कि आवेदित भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदित भूमि पट्टे की भूमि नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपीलांट की भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है और ऐसा भूमिस्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि पर पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये 10 वर्ष व्ययतीत होने पर पट्टाग्रहीता भी भूमिस्वामी बन जाता है, जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

5/ प्रकरण में आये तथ्यों से परिलखित है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त नहीं है। अपीलांट अनुसूचित जनजाति संवर्ग का है जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। म0प्र0



भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7-ख) प्रतिबन्धित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमिस्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि का विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबन्ध के कारण अपीलांट ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। अपीलांट ने भूमि विक्रय करने का अनुबन्ध शासकीय गाईड लायन के मान से निर्धारित दर पर रिस्पा0 क्रमांक 2 के साथ किया है, जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लायन के मान से विक्रय मूल्य देने तैयार है परिणामतः अपीलांट को स्वअर्जित एवं भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नजर नहीं आती है, किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 224 अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 11.5.15 एवं 27.07.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं अपीलांट को ग्राम पौड़ी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 7/2 रकबा 1.21 हैक्टर , 71/1 रकबा 1.21 हैक्टर, 70 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.82 हैक्टर के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्तांकित भूमि का विक्रय पत्र संपादित करते समय शासकीय गाईड लायन के मान से अपीलांट विक्रेता को विक्रय धन प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं ? उप पंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय पत्र संपादित करें।

  
(एम०के०सिंह)  
सदस्य

राजस्व मण्डल, म० प्र० ग्वालियर